प्रकरण संख्या–11 / 2018 तारीख रजु–20.03.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

खिलाड़ी पुत्र शंकर आयु 60 साल जाति कुम्हार निवासी चटीकना, करौली तहसील व जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

1. हजारी पुत्र शंकर आयु 70 साल
2. मिश्रीबाई पुत्री शंकर आयु 65 साल

} जाति कुम्हार निवासीयान चटीकना, करौली तहसील व जिला करौली

3. तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 2968 निर्णय दिनांक 01.09.2011 कस्बा करौली पटवार हल्का 10 तहसील करौली जिला करौली

निर्णय

दिनांक–08.09.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट् द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 01.09.2011 बाबत् नामांतरकरण संख्या 2968 कस्बा करौली तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूहेदाद मिसल है आर्बीट्रेरी है, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 02.03.2010 पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट नंबर 3 ने अपीलाण्ट का कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिया है और जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट नंबर 3 ने एकपक्षीय रूप से विधिविरुद्ध पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का नाम उक्त जैर अपील नामांतरकरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने नामांतरकरण में अपीलाण्ट का नाम रामखिलाड़ी गलत रूप से बिना किसी आधार के दर्ज किया है जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम खिलाड़ी है। गिरदावर हल्का द्वारा भी कोई विधिवत् जांच नहीं की गई है जो नामांतरकरण पर अंकित दिनांकों से ही प्रकट है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के जैर अपील नामांतरकरण दिनांक 01.09.2011 को स्वीकृत कर दिया है जो विधिविरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है एवं पत्रावली पुनः सुनवाई को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। जैर अपील निर्णय दिनांक 01.09.2011 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 13.01.2018 को ई–मित्र केन्द्र से नकल जमाबंदी लेने पर जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 2968 दर्ज होने की जानकारी होने पर एवं दिनांक 15.01.2018 को नकल नामांतरकरण का आवेदन करने पर तहसील कार्यालय से दिनांक 28.02.2018 को नकल नामांतरकरण प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 01.09.2011 से दिनांक 28.02.2018 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डोन किये जाने योग्य है। जानकारी दिवस दिनांक 28.02.2018 से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद पेश है।

जिला कलक्टर
करौली

(6)

प्रकरण संख्या–11/2018 तारीख रजु–20.03.2018

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। दिनांक 08.09.2018 को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण को सुनवाई हेतु रखा गया।

अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उभयपक्षकारान अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो चुका है और राजीनामा के अनुसार नामांतरकरण संख्या 2968 दिनांक 01.09.2011 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 10 में अपीलाण्ट का नाम रामखिलाड़ी के स्थान पर खिलाड़ी सही कर संशोधन किये जाने में रेस्पोण्डेण्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है। इसी अनुसार अपील नामांतरकरण का निस्तारण किये जाने में उभयपक्ष सहमत है। अपीलाण्ट का सही नाम खिलाड़ी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 ने पत्रांक एल.आर./18/3593 दिनांक 08.09.2018 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि नामांतरकरण संख्या 2968 दिनांक 01.09.2011 में गेंदा पुत्र मिठुआ कुम्हार की विरासत में वादी का नाम रामखिलाड़ी पुत्र शंकर दर्ज है। वादी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक एवं राशनकार्ड से नाम खिलाड़ी होना प्रमाणित है। रामखिलाड़ी की जगह खिलाड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व जांच रिपोर्ट तहसीलदार करौली एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। उभयपक्षकारान अपीलाण्ट व रेस्पोण्डेण्ट में हुए राजीनामा व तहसीलदार करौली द्वारा नामांतरण्करण संख्या 2968 निर्णय दिनांक 01.09.2011 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 10 में रामखिलाड़ी के स्थान पर खिलाड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताये जाने पर उक्त नामांतरकरण में रामखिलाड़ी पुत्र शंकर के स्थान पर खिलाड़ी पुत्र शंकर दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। नामांतरकरण संख्या 2968 निर्णय दिनांक 01.09.2011 कस्बा करौली पटवार हल्का नं. 10 तहसील व जिला करौली अपीलाण्ट के नाम की हद तक अपास्त किया जाता है तथा इस नामांतरकरण में अपीलाण्ट रामखिलाड़ी पुत्र शंकर जाति कुम्हार के स्थान पर खिलाड़ी पुत्र शंकर जाति कुम्हार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2018 को चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली